HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous II[nd] Bail Application No. 6974/2026
CNR: RJHC010509032026 | URN: CRLMB / 15501U / 2026

Murad Ali S/o Nazir Ali, Aged About 39 Years, Resident Of Alinagar, Alipura, Police Station Pisangan District Ajmer.
(At Present Lodged In Sub Jail,jaitaran)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ravindra Acharya
For Respondent(s)	:	Ms. Sonu Manawat, PP Ms. Sonu Rathore Ms. Kamini Rathore

---

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

06/08/2026

01. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह द्वितीय आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिसथाना **रास, जिला ब्यावर** में दर्ज **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 137/2025,** अपराध अन्तर्गत **धारा 189(2), 115(2), 117(2), 109, 126(2), 352, 191(2), 190 भारतीय न्याय संहिता** के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

02. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि इस मामले में प्रथम जमानत प्रार्थना जरिये नोटप्रेस इस आधार पर खारिज किया गया था कि आहत मुकेश गुर्जर के बयान पुलिस अनुसंधान में अथवा विचारण न्यायालय जैसी भी स्थिति हो बयान हो जाने के पश्चात पुनः जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस मामले में आहत जानबूझकर लिखत में बयान नहीं दे रहा है। आहत के लिखित में बयान लेने के आदेश होने के बावजूद पुलिस द्वारा लिखित में बयान नहीं लिये गये हैं। इस मामले में क्रॉस केस में आहत के विरूद्ध भी चार्जशीट पेश की गई है, जो घटनास्थल है वह मुलजिम पक्ष का कब्जासुदा

खेत होना, मुलजिमान के भी चोटें आना बताते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया। उन्होंने थानाधिकारी पुलिस थाना रास, जिला ब्यावर की रिपोर्ट दिनांक 13.07.2026 पेश की जो शामिल पत्रावली की जावे। उनका कथन है कि रिपोर्ट के मुताबिक आहत लिखित में बयान देने की स्थिति में नहीं है, जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस द्वारा भी इस मामले में आहत के बयान देने की स्थिति में नहीं होना बताया गया। उनका कथन है कि जिन पार्टी के बीच आपस में विवाद है उनसे आहत का लेनादेना नहीं है। आहत मुकेश खेत में मवेशी चरा रहा था, झगड़े के समय वह वहां गया तो उसके साथ मारपीट की गई है, आहत बयान देने की स्थिति में नहीं है। इन आधारों पर इस स्टेज पर जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

05. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पुनः बहस करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि मुस्तगीस पक्ष अग्रेसर होना पुलिस ने माना है ऐसी अवस्था में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

06. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। इस मामले में प्रार्थी/अभियुक्त पर 109 बीएनएस का आरोप विरचित कर सुनाया जा चुका है। आहत मुकेश के बयान देने की स्थिति में नहीं होना पुलिस रिपोर्ट में आया है। इस रिपोर्ट में डॉक्टर की रिपोर्ट में यह आया है कि—

> "Patient not oriented to time, place
> -not follow command properly
> -unable to speak,
> -P/H/0 operation for trauma
> -In my opinion patient is unable to give any type of statement due to unstable mental and physical condition."

ऐसी अवस्था में मामले में आहत के आई चोटों की गंभीरता को देखते हुए इस स्टेज पर जमानत का प्रार्थना पत्र प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बगैर खारिज किया जाना न्यायोचित हैं।

07. तदनुसार, प्रार्थी/अभियुक्त मुराद अली की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस खारिज किया जाता है।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

76/SN Lohra